

# श्री वैष्णव पॉलिटेकनिक महाविद्यालय, एम.ओ.जी. लाईन्स : इन्दौर

क्रमांक - व्हीपी/आरएस/शैक्ष/एन्टीरे.स्वचायड/2019/83

दिनांक - 24/01/2019

## :: कार्यालयीन आदेश :: ( रैगिंग रोकने संबंधी )

संस्था स्तर पर रैगिंग जैसे घिनौने अपराध व प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिये निम्नानुसार Central Anti Ragging Squad एवं Departmental Anti Ragging Squad का गठन किया जाता है :-

### :: Central Anti Ragging Squad ::

1. श्री अशोक व्यास, प्र. श्रेणी व्याख्याता - इले0इंजी0एवं छात्र परामर्शदाता- संयोजक
2. श्री रविन्द्र महाजन, प्र.श्रेणी व्याख्याता- इले0इंजी0 एवं प्रभारी शैक्ष0 - सह-संयोजक
3. श्री संजय जैन, प्र. श्रेणी व्याख्याता - पी.डी.सी.ए. - सह-संयोजक
4. श्रीमती श्यामोली सोनी, प्र.श्रे.व्याख्याता एवं छात्रावास अधीक्षिका (बालिका) -सदस्य
5. श्री महेन्द्र जैन, प्र. श्रेणी व्याख्याता - मेकेनिकल इंजीनियरिंग -सदस्य
6. श्री एम.एम. सांगानेरिया, प्र. श्रेणी - प्रॉडक्शन इंजीनियरिंग -सदस्य
7. श्री आर.के. जैन, प्र. श्रेणी व्याख्याता - आप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स -सदस्य
8. श्री कल्याण सरकार, प्र. श्रेणी व्याख्याता - टेक्सटाईल टेक्नॉलाजी -सदस्य
9. श्री श्रीकांत पाथरेकर, मानचित्रकार - सिविल इंजीनियरिंग -सदस्य
10. श्री राजन कवचाले, कुशल सहायक - कर्मशाला -सदस्य
11. श्री जितेन्द्र कस्बे, डिमास्ट्रेटर - टेक्सटाईल टेक्नॉलाजी -सदस्य
12. श्री राजेश बिड़कर, प्रयोगशाला तकनीशियन - इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी., -सदस्य
13. श्री टी.के. कुशवाह, मेन्टेनेन्स तकनीशियन - कर्मशाला -सदस्य
14. श्री डी.एस. चौहान, कर्मशाला अनु. - आप्थ.टेक्नॉ. (आप्टो.एंड रिफ़े.) -सदस्य
15. श्री जी.एस. शर्मा, कर्म. अनुदेशक -सदस्य
16. श्रीमती मधु संघवी, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक छात्रावास अधीक्षिका (बालिका) -सदस्य

उक्त Central Squad संस्था परिसर एवं छात्रावासों का सतत् निरीक्षण कर रैगिंग रोकने के लिये आवश्यक उपाय करेगा ।

**:: Departmental Anti Ragging Squad ::**

1.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग -	श्री वाय गुप्ता - श्री परेश सावंलिया - श्री एस.के. सातव -	प्रभारी सिविल इंजी. प्र.श्रे. व्याख्याता -सिविल ट्रेसर
2.	मेकेनिकल/ ऑटो मोबाईल इंजी. विभाग -	श्री ए.के. जैन - श्री राजीव नामदेव - श्री अनिल जोशी -	प्रभारी मेके. इंजी. प्र.श्रे. व्या० - मेके. एवं प्रभारी ऑटो मो. मशीन अटेण्डेन्ट
3.	प्रोडक्शन इंजी. विभाग	श्री मनीष गुप्ता - श्री संतोष शेकोकर - श्री मनीष भिडे -	प्रभारी प्रोडक्शन इंजी. प्र.श्रे. व्याख्याता प्रोड. प्र.श्रे. व्याख्याता प्रोड.
4.	इलेक्ट्रिकल इंजी. विभाग -	श्री एस.एस.शर्मा - श्रीमती एस. सोनी - श्री आर.एस. टेटवाल -	प्रभारी - इलेक्ट्रिकल प्र.श्रे. व्याख्याता -इले. प्रयोगशाला तक.
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स/आप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स-	श्री अनूप तिवारी - श्री आशीष मण्डलोई - श्री व्ही.एस. नेगी - श्री भागीरथ साल्वी -	प्रभारी-इलेक्ट्रॉ०/आ०इले. प्र.श्रे.याख्याता-इलेक्ट्रॉ० इन्स्ट्रुमेन्ट रिपेयरर प्रयोगशाला तक.
6.	टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी विभाग -	श्री एस.सी.बंसल - श्री कल्याण सरकार - श्री राजेश नवीन -	प्र.श्रे. व्याख्याता- टे.टे. प्र.श्रे. व्याख्याता- टे.टे. ऑपरेटर
7.	पी.डी.सी.ए./कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग विभाग -	श्री राजीव दुबे - श्री गिरीश कौशल - श्री प्रवीण सुभेदार -	प्रभारी - पी.डी.सी.ए. प्र.श्रे. व्या०-पीडीसीए प्रोग्रामर
8.	विज्ञान एवं मानविकी विभाग -	श्री डी. गोगटे - श्रीमती स्मिता यादव -	प्र.श्रे. व्याख्या.-अॅग्रेजी प्रयोगशाला तक.
9.	ऑप्टेलिम्क टेक्नोलॉजी -	श्री एच.पी. दिशोरिया - श्री के.पी. गुप्ता - श्रीमती हेमा वर्मा -	प्रभारी आप्थे. टेक्नो० रिफ्लेक्शनिस्ट कर्मशाला अनुदेशक
10.	कर्मशाला -	श्री अरुण नागरानी - श्री बलदेव बारास्कर - श्री जे.सी. जालोनिया -	प्रभारी कर्मशाला मेन्टेनेन्स तक. मशीन अटे.

उक्त Departmental Squad अपने-अपने विभाग पर सतत् निगरानी रखते हुए रैगिंग रोकने के लिये आवश्यक उपाय करेगा ।

रैगिंग की कुप्रथा पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है । रैगिंग की घटना के पूर्व ही उसे रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही एवं समुचित प्रबंध किये जाने चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संस्था परिसर में, छात्रावास में, विभागों में अथवा बाहर किसी भी प्रकार की कोई रैगिंग या अन्य घटना न होने पावे ।

रैगिंग रोकने के संबंध में संस्था स्तर एवं विभागीय स्तर पर निम्नानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे :-

1. एन्टी रैगिंग स्वचायड रैगिंग की रोकथाम के लिये सदैव सजग रहेगा । एन्टी रैगिंग स्वचायड द्वारा कारगर उपाय किये जावें, जिससे कि विभाग में एवं संस्था में रैगिंग किसी भी हालत में न हो ।
2. सत्र के प्रारंभ से ही हर विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख, एन्टी रैगिंग कमेटी, एन्टी रैगिंग स्वचायड, स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष नम्बर उपलब्ध कराये जावें ।
3. सभी विद्यार्थियों/पालकों से यह वचन पत्र लेवें कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी ।
4. एन्टी रैगिंग स्वचायड छात्रावास का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहाँ छात्र एकत्रित होते हैं ।
5. एन्टी रैगिंग स्वचायड, एन्टी रैगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा ।
6. प्रतिदिन कक्षाएँ प्रारंभ एवं समाप्त होने तथा मध्यांतर के समय विभागों में तथा संस्था परिसर में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी तैनात कर निगरानी रखी जावे ।
7. छात्रावासों में रैगिंग अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछनीय गतिविधि न हो इस हेतु कड़े उपाय किये जावे । रात के समय छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जावे । छात्रावास में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहे ।
8. समस्त सीनियर छात्रों को निर्देशित किया जावे कि वे रैगिंग या अन्य किसी भी प्रकार की अन्य अवांछनीय गतिविधि में भाग न लें । अन्यथा दोषी छात्रों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे । रैगिंग के संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर दोषी पाये गये छात्रों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।
9. रैगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी तत्काल जाँच केन्द्रीय एन्टी रैगिंग स्वचायड एवं संबंधित विभागीय स्वचायड द्वारा की जावे तथा जाँच प्रतिवेदन योग्य अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राचार्य को प्रस्तुत किया जावे ।
10. यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन प्रकरणों में शिकायत प्राप्त नहीं होती है उन मामलों में सूचना के समस्त स्त्रों से जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त कार्यवाही की जावे ।

11. रैगिंग रोकने हेतु जागरूकता आवश्यक है । इस संबंध में संस्था के शिक्षकों एवं कर्मचारियों तथा छात्रों के अभिभावकों में भी जागरूकता लाई जावे ।

( डॉ.राजेश सोढानी )  
प्राचार्य एवं सचिव

पृ.क्रमांक - व्हीपी/आरएस/शैक्ष/एन्टीरे.स्वचायड/2019/84  
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 24/01/2019

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष - श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर एवं अध्यक्ष - शासी निकाय, श्री वैष्णव पॉलिटैकनिक महाविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
3. श्रीमान् पुरुषोत्तमदासजी पसारी, अध्यक्ष - प्रबंध समिति, श्री वैष्णव पॉलिटैकनिक महाविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
5. श्रीमान् ए.डी.एम. महोदय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
6. श्रीमान् सी.एस.पी. महोदय, थाना पंढरीनाथ, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
7. श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय, थाना छत्रीपुरा, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
8. श्रीमान् संचालक महोदय, तकनीकी शिक्षा म.प्र., सतपुड़ा भवन, चौथी मंजिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
9. श्रीमान् सचिव महोदय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ए-4, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. श्रीमान् निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधी नगर, एयर पोर्ट, बाय-पास रोड़, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
11. समस्त विभाग/उपविभाग के प्रभारी की ओर सूचनार्थ भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय एन्टी रैगिंग स्वचायड के सहयोग से एवं व्यक्तिगत जवाबदारी तथा रुचि लेकर सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में रैगिंग जैसे घिनौने अपराध एवं अन्य अवांछनीय गतिविधि किसी भी हालत में न हो ।
12. छात्रावास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षक(बालक) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. छात्रावास अधीक्षिका/सहायक छात्रावास अधीक्षिका (कन्या) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. उपरोक्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

( डॉ.राजेश सोढानी )  
प्राचार्य एवं सचिव